न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)
(पीठासीन अधिकारी : कृष्णपालसिंह चौहान, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 01/2019

दायर दिनांक–10.04.2019
निर्णय दिनांक–28.02.2020

श्री मरता पुत्र थावरा डामोर निवासी नानोडा फला टाण्डा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर

.....प्रार्थी

बनाम

श्री धनेश्वर पिता कमजी डामोर वगैराह (8) निवासी नानोडा फला टाण्डा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर

....विपक्षीगण

प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत नियम 14(4)
राजस्थान भू–(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970

–

उपस्थित :–

1. श्री प्रवीण शुक्ला, अभिभाषक वास्ते प्रार्थी
2. श्री अमृतलाल पंचाल, अभिभाषक वास्ते विपक्षीगण

आदेश

इस प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि नानोडा फला टाण्डा की आराजी नंबर 834 रकबा 3.08 बीघा भूमि किस्म बिलानाम का आवंटन अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 के पिता/पति को वर्ष 1965 मे आवंटन होने से उक्त आवंटित भूमि से 1.14 बीघा पर प्रार्थी का कब्जा काश्त आवंटन दिनांक 27.09.1965 से पूर्व का होने से 1.14 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रकरण इस न्यायालय मे पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को वास्ते जवाबदेही हेतु जरिये सम्मन के तलब किये गये। अप्रार्थीगण ने अपनी ओर से जवाब पेश करते हुए बताया है कि मौजा नानोडा फला टाण्डा की आराजी नंबर 834 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि पर विपक्षीगण के पिता स्व. कमजी पिता थावरा का कब्जा काश्त होने से वर्ष 1965 मे नियमानुसार आवंटन हुई है तब से वह काबिज

हुए कमजी की मृत्यु के पश्चात उसके विधिक वारीसान विपक्षीगण को कब्जा हस्तान्तरित हुआ है। उक्त आवंटित भूमि पर आवंटन के पश्चात लगातार कब्जा काश्त होने से उसके खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है। विपक्षीगण ने इस जमीन मे काफी मेहनत मजदूरी करके एवं रूपये खर्च करके काबिल काश्त बनाया है इस जमीन पर वर्षो पूर्व लगाये गये आम,महुआ,जामून,ईमली,कंजडी आदि के पेड मौजूद है ऐसी स्थिति मे प्रार्थी उक्त आवंटन वाली जमीन का आवंटन पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निरस्त कराने का हकदार नही है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से काबिले निरस्त होने से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को निरस्त करने का आदेश फरमावें। इस प्रकरण मे तहसीलदार सीमलवाडा से विवादग्रस्त भूमि की मौका रिपोर्ट भी तलब की गई।

पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजात का एवं तहसीलदार सीमलवाडा से प्राप्त मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं बहस उभयपक्षों की समायत की गई।

वकील प्रार्थी की ओर से बहस मे बताया है कि प्रार्थी एवं विपक्षीगण के पिता/पति स्व. कमजी दोनों सगे भाई थे जिसमे कमजी की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थी का भाई कमजी अपने पिता का बडा पुत्र था प्रार्थी छोटा था। प्रार्थी परिवार की आवश्यकता की पूर्ति हेतु गुजरात जाता था इस कारण राजस्व शिविर मे कमजी अकेले ने अपने नाम से भूमि का आवंटन करा लिया जिसकी जानकारी प्रार्थी को नही थी। आवंटन की प्रक्रिया नियमो के विपरित हुई है। आवंटित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होने से कमजी को कब्जा नही दिया गया। आज भी उक्त आवंटित भूमि मे से 1.14 बीघा भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। अतः प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि रकबा 1.14 बीघा भूमि के आवंटन को निरस्त करने का आदेश पारित किया जावें।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस साईटेंशन के रूप मे आर.आर.टी. 2011–12 पृष्ठ 321 से 324 तक बिरधीलाल बनाम नन्दलाल एवं अन्य अपील नंबर 9397/2008 निर्णय दिनांक 21 नवम्बर 2012 की छाया प्रति पेश करते हुए न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए बताया है कि आवंटन नियमों के विपरित कपटपूर्वक तथ्यों को छुपाकर किया गया हो तो आवंटन आंशिक रूप से भी निरस्त करने का प्रावधान है।

अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रार्थी के कब्जे शुदा रकबा 1.14 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त करने का आदेश पारित किया जावें।

वकील अप्रार्थीगण ने अपनी ओर से बहस मे बताया है कि मौजा नानोडा फला टाण्डा की आराजी नंबर 834 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि पर विपक्षीगण के पिता स्व. कमजी पिता थावरा का कब्जा काश्त होने से वर्ष 1965 मे नियमानुसार आवंटन हुई है तब से वह काबिज हुए कमजी की मृत्यु के पश्चात उसके विधिक वारीसान विपक्षीगण को कब्जा हस्तान्तरित हुआ है। उक्त आवंटित भूमि पर आवंटन के पश्चात लगातार कब्जा काश्त होने से उसके खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है। विपक्षीगण ने इस जमीन मे काफी मेहनत मजदूरी करके एवं रूपये खर्च करके काबिल काश्त बनाया है इस जमीन पर वर्षो पूर्व लगाये गये आम,महुआ,जामून,ईमली,कंजडी आदि के पेड मौजूद है ऐसी स्थिति मे प्रार्थी उक्त आवंटन वाली जमीन का आवंटन पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निरस्त कराने का हकदार नही है। विपक्षीगण के स्व. पिता/पति को वर्ष 1965 मे भूमि आवंटन हुई थी उसके करीब 54 वर्ष की अवधि हो चुकी है 54 साल बाद प्रार्थी की ओर से 14 (4) के तहत आवंटन निरस्ती हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है जो नियमों के विपरित है। अब प्रार्थी कमजी का छोटा भाई होने की आड को लेकर 54 वर्ष के बाद विपक्षीगण के आवंटन को चुनौती दे रहा है जबकि आवंटन वाली जमीन पर प्रार्थी का पूर्व मे अथवा वर्तमान मे कभी काबिज नही रहा है उक्त जमीन मे विपक्षीगण द्वारा कुंआ खोदा गया है। सम्पूर्ण जांच पडताल के बाद कमजी आवंटन का पात्र होने से नियमानुसार आवंटन हुआ है।

दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने साईटेंशन के रूप मे 1988(2) डब्ल्युएलएन (राजस्व) पृष्ठ 294,295 एवं 1995(2) आरबीजे पृष्ठ 780 से 786 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराते हुए बताया है जब आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के 10 वर्ष पश्चात आवंटन को चुनौती नही दी जा सकती है यानि खातेदारी प्राप्त होने के दस वर्ष के वर्ष के पश्चात आवंटन को निरस्त नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना सारहीन होने से खारीज

करते हुए अप्रार्थीगण के पिता/पति के नाम से आवंटित भूमि का आवंटन आदेश को यथावत रखने का आदेश पारित किया जावें।

पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार सीमलवाडा से प्राप्त मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर एवं उपभपक्षों की आरे से अपनी बहस मे दी गई दलीलो पर गोर से मनन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है किः–

मौजा नानोडा फला टाण्डा के खसरा नंबर 834 रकबा 03.08 बीघा भूमि अप्रार्थीण के पिता/पति स्व. श्री कमजी पिता थावरा भील निवासी धम्बोला फला टाण्डा को जरिये मिसल नंबर 3083 के द्वारा दिनांक 27.09.1964 को गैर खातेदारी हक पर आवंटन की गई थी। जिसके खातेदारी अधिकारी जरिये नामान्तरण संख्या 218 दिनांक 27.04.1975 को प्राप्त हो चुके है प्रार्थी ने उक्त आवंटित भूमि मे से 1/2 आधे किस्से (1.14 बीघा) पर अपना कब्जा काश्त होना बताते हुए 1.14 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है लेकिन प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई राजस्व रेकार्ड पेश नही किया गया है जिसके आधार पर प्रार्थी को उक्त भूमि पर कब्जा काश्त प्रमाणित हो सके इसके अलावा उक्त भूमि वर्ष 1964 मे आवंटन हुई है करीबन 55 वर्ष के पश्चात उक्त आवंटन को चुनोती देना एक सोचनीय बिन्दु है। प्रार्थी को चाहिये था कि आवंटन के पश्चात ही आवंटन निरस्ती हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिये था क्यों कि आवंटन के वक्त से लेकर अब तक प्रार्थी जीवित अवस्था मे है 55 वर्ष की अवधि तक आवंटन की जानकारी प्रार्थी को नही हुई हो, ऐसा हो नही सकता है कमजी के जीवनकाल मे ही आवंटन की आपत्ति करनी चाहिये थी, उसकी मृत्यु के पश्चात आवंटन को चुनोती देना न्याय संगत नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र को अस्वीकार (खारीज) करते हुए अप्रार्थीगण नंबर 1 से 7 तक के पिता/पति स्व. कमजी पिता थावरा मीणा (भील) निवासी धम्बोला नानोडा फला टाण्डा को जरिये मिसल नंबर 3083 के द्वारा दिनांक 27.09.1964 को आराजी नंबर 834 मे रकबा 03.08 (तीन बीघा आठ बिस्वा) आवंटन की गई भूमि के आवंटन आदेश को यथावत रखने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल मे शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कृष्णपाल सिंह चौहान)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2020.02.28 16:39:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: